

30/05 पत्रावली सेवा दुष्ट। वकील शर्मा ने डा. प्रग पेशकर
प्रकरण के जॉर्नल विड्रॉवल डा. प्रग खारिजकिए
जाने का निवेदन किया। नूँकि वकील शर्मा डा. प्रग
चलाना नहीं चाहते हैं अतः आदेश-23, R-1 C.O.C
के जॉर्नल अनुसार जॉर्नल विड्रॉवल डा. प्रग शर्मा
द्वारा प्रस्तुत डा. प्रग शर्मा 251A RTI खारिज
किया गया है। पत्रावली फोनल इन्फॉर्मेशन
नंम्बर से कर रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
वाली (जिला-पली) राज